विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 360 दिनांक : 15-6-17

प्रति,

प्राचार्य,
स्व. सविता देवी जायसवाल स्मृति महाविद्यालय,
शामगढ़, जिला-मंदसौर।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरन्तरता आवेदन क्रमांक/73,दिनांक 11.04.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में प्रस्तुत किया गया,उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.कॉम.	30
02.	पी.जी.डी.सी.एस.ए.	50
03.	बी.बी.ए.	60
04.	बी.सी.ए.	60
05.	बी.ए. (प्लेन+कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	60+80=140
06.	बी.कॉम. (प्लेन+कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	30+90=120
07.	बी.एससी. (गणित समूह, बॉयो समूह)	85+85=170

शर्ते :-
1. वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अपर्याप्त कम्प्यूटर है,अतः न्यूनतम 30 कम्प्यूटर क्रय किए जाना उचित होगा, एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला में लायसेंस्ड सॉफ्टवेयर एवं वाईफाई (ब्रॉड बैंड) सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
2. वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध पुस्तकें पर्याप्त नहीं है। अतः प्रत्येक पाठ्यक्रम की विषयवार पुस्तकें 25-25 प्रतियों में कम से कम क्रय किया जाना उचित होगा।
3. महाविद्यालय में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है। परिनियम 28 के अन्तर्गत पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाना आवश्यक है।
4. विज्ञान पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्सयेक विषय अनुसार प्रयोगशाला पृथक-पृथक आवश्यक उपकरणों सहित संस्थापित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता-निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02